e-mail
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान।

क्रमांकः–डीसी/डी–2/न्यूज कटिंग/2016/ दिनांक

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान ।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषयः– समाचार पत्र दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण दिनांक 04.11.2016 में प्रकाशित समाचार *"उदयपुर में चलेगा सबसे बडे ड्रग तस्करी का मुकदमा"* के क्रम में।

समाचार पत्र दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण दिनांक 04.11.2016 में प्रकाशित समाचार *"उदयपुर में चलेगा सबसे बडे ड्रग तस्करी का मुकदमा"* (प्रति संलग्न) जो किं उदयपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की और से की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई है।

प्रतिबंधित औषधियों एवं नशीली दवाईयों की रोकथाम तथा इन पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी विभिन्न निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने आवंटित क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुऐ की गई कार्यवाही से संगठन को अविलम्ब सूचित करें।

समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिये आवश्यकतानुसार नारकोटिक्स ब्यूरो एवं क्षेत्र के सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के साथ सामन्जस्य स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

Sd/-
(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर

— P.T.O. —

क्रमांकः–डीसी/डी–2/न्यूज कटिंग/2016/ 429 दिनांक 04/11/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, सी.एच.ई.बी. केम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी.डी.एस.सी.ओ (नोर्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
4. निजी सचिव, मा0 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन डायरेक्टर (NHM) मुख्यालय।
6. प्रबन्ध निदेशक (RMSCL) मुख्यालय।
7. नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, जोधपुर।
8. डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इन्टेलिजेन्स, जोनल ऑफिस, मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0, जयपुर।
10. निदेशक (जन स्वा./प.क./एड्स/एम.एस.यू./ई.एस.आई.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर।
12. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
15. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in/Drug Control पर लगाये।
16. रक्षित पत्रावली ।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर